न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **245/08 (वाद)**

GCMS No. : 2008/00096

उनवान

1. सुखलाल पिता मोहनलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/1 श्री अशोक कुमार सिंघवी पिता सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री कमलेश सिंघवी पिता सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 श्री विमल कुमार सिंघवी पिता सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 श्रीमती आशाबेन पुत्री सुखलाल पत्नी शेलेष सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/5 श्रीमती शांता पुत्री सुखलाल पत्नी महेश सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/6 श्रीमती झमकुबाई पत्नी सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीगण

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता प्रेमचंदजी जाति कुलमी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री राधेश्याम पिता प्रेमचंद कुलमी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्रीमती नंदुबाई पत्नी प्रेमचन्द कुलमी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती विमला पालीवाल पत्नी कैलाशजी पालीवाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. श्री शांतिलाल पिता शिवलालजी ब्राहम्ण निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली जिला उदयपुर
7. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला उदयपुर।
8. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. ग्राम पंचायत डबोक, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री भोजपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ।
3. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 ।

वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी

निर्णय

दिनांक : 04.09.2025

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डबोक, पटवार हल्का डबोक, तह. मावली जिला उदयपुर (राज) में कृषि भूमियां स्थित है जिसके वर्तमान खेत खसरा नंम्बर 1398 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 1470 रकबा 3 बिस्वा, 1526 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 1530 रकबा 10 बिस्वा, 1533 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, 2656 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, 2773 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 2792 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 2795 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 2866 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 2867 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, 3582 रकबा 9 बिस्वा, 3590 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 3736/1413 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 3744/1413 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किता 15 रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा है, जो वर्तमान में राजस्व अभिलेख में राधेश्याम, बंशीलाल पिता प्रेमचन्द एवं मुसम्मात नन्दूबाई बेवा प्रेमचंदजी कुलमी एवं श्रीमती विमला पालीवाल के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 2866 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा एवं 2867 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल का 1/3 तीसरा हिस्सा था जो कुलिया हिस्सा मुझ वादी को बिल एवज रूपया 1,75,000/– एकलाख पिचोतर हंजार रूपया में विक्रय कर विक्रय राशि प्राप्त कर, तथा मुझ वादी को जमीन का भौतिक कब्जा देकर विक्रय पत्र दिनांक 21–5–2008 को उप पंजीयन कार्यालय मावली में पंजीयन करवा दिया। विक्रयपत्र के आधार पर जमीन वादी ने अपने नाम कराने हेतु पटवारी सा. एवं ग्राम पंचायत के यहां जाकर सम्पर्क किया तो उन्होने तहसील कार्यालय से आदेश लाने की बात की एवं विक्रयपत्र के आधार पर म्यूटेशन की कार्यवाही नहीं की न जमीन खातेदारी हक से वादी के नाम की है। पुनः जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रतिवादी संख्या [illegible]लाल ने प्रतिवादी संख्या 5 श्री शांतिलाल पिता शिवलालजी ब्राह्मण पा[illegible]ल को विक्रय कर दी है। प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puniadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी वादग्रस्त आराजी भूमि में घोषणा एवं बंटवाड़ा चाहा था।

2. अधिवक्ता वादीगण एवं स्वयं वादी संख्या 1/2 तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 5 एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, 5 उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त मामला न्यायालय विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 10–10–2025 की नियत हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 गांव डबोक के रहने वाले है जिससे उपरोक्त अनवान मुकदमा में हम पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है और हमें मौतबीरों ने आपस में समझा दिया हैं। हम पक्षकारान के मध्य राजीनामा निम्न प्रकार हुआ है कि मौजा डबोक, पटवार हल्का डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) में स्थित वाद वर्णित आराजी नम्बर 2866, 2867 जिसका पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल द्वारा दिनांक 21.05.2008 को वादी सुखलाल के पक्ष में निष्पादित करवाया था लेकिन पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए नामान्तरकरण की कार्यवाही नही होने से उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही अंकित रह गयी और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में दिनांक 01.09.2008 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। इसलिये आपसी राजीनामा अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2008 के जरिये हस्तान्तरित की हुई भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जिसका मृतक वादी सुखलाल के बजाय उसके वारिसान अशोक, कमलेश, विमल कुमार, आशा बेन, शांता, झमकुबाई को समान हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें और हिस्सेनुसार नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित कराया जाने की डिक्री जारी फरमाई जावें। साथ ही बंटवाड़े की दाद ड्रोप फरमाई जावे। अंत में निवेदन किया की मृतक वादी सुखलाल के वारिसान अशोक, कमलेश, विमल कुमार, आशा बेन, शांता, झमकुबाई एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को डिक्री किया फरमाया जावें। साथ ही बंटवाड़े की दाद ड्रोप फरमाई जावे।

3. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस राजीनामा के प्रार्थना पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किया गया की वादीगण एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1, 5 द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाई जावे।

4. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2061–64 के खाता संख्या 641 पर दर्ज वादग्रस्त आराजी नम्बर 2866 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 2867 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि राधेश्याम, बंशीलाल पिता प्रेमचन्द, मु. नन्दुबाई बेवा प्रेमचन्द कुलमी के नाम 1/3–1/3 हिस्से से दर्ज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2008 से सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में से अपना 1/3 हिस्सा वादी सुखलाल पिता मोहनलाल को विक्रय कर दिया गया। वादी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का को अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया परन्तु पटवारी हल्का द्वारा भूमि वादी के नाम नही की गई। जिससे वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही दर्ज चली आ रही थी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पुनः 01.09.2008 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2866 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 2867 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज हिस्सा वादी को विक्रय कर देने से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2008 से ही वादी खातेदार हो चुका था। केवल राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद नही करना राजस्व कर्मचारियों की भूल थी। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में केवल मात्र सेहवन से अंकित था। वास्तव में वादग्रस्त भूमि का खातेदार वादी हो चुका था। वादी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान वादी संख्या 1/1 से 1/6 खातेदार हो चुके थे। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का खातेदार नही होते हुए भी पुनः वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया। जो नियमो के विरूद्ध विक्रय किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadra
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत [illegible]ारी बनाम लोचन सिंह 1990 आर. आर.डी. पेज नम्बर 44 के पैरा 7 में स[illegible] किया गया है कि एक व्यक्ति ने

कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये, जब उसके पक्ष में एक विक्रय पत्र पहले निष्पादित कर दिया गया। उसी भूमि को बाद में दूसरे व्यक्ति को पश्चात्वर्ती रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र द्वारा बेच दिया गया और अधिकार अभिलेख में दूसरे खरीददार के पक्ष में प्रविष्टियां (इन्द्राज) कर दी गई। अभिनिर्धारित कि इसके बावजूद पहला खरिदार उस भूमि का खातेदार घोषित किए जाने के अनुतोष का हकदार है।

इस प्रकार प्रथम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी के वारिसान खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रकरण में विवाद केवल मात्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 के मध्य ही है। शेष प्रतिवादीगण का कोई हित प्रभावित नही हो रहा है। वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 के मध्य राजीनामा हो चुका है। राजीनामे में भी वादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम ही खातेदारी अधिकार से दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1, 5 भी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से को वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के लिए सहमत है। वादी संख्या 1/1 एवं 1/3 से 1/6 की और से राजीनामा उनके अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया। राजीनामा अनुसार बंटवाड़े के अनुतोष को ड्रोप करवाना चाहते है। ऐसे में बंटवाड़े के अनुतोष को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं प्रथम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. राजीनामा का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 539 पर दर्ज आराजी नम्बर 2866, 2867 किता 2 कुल रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. सुखलाल पिता मोहनलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/1 श्री आशोक कुमार सिंघवी पिता सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/2 श्री कमलेश सिंघवी पिता सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/3 श्री विमल कुमार सिंघवी पिता सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/4 श्रीमती आशाबेन पुत्री सुखलाल पत्नी शेलेष सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/5 श्रीमती शांता पुत्री सुखलाल पत्नी महेश सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

1/6 श्रीमती झमकुबाई पत्नी सुखलाल सिंघवी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीगण

बनाम

1. श्री बंशीलाल पिता प्रेमचंदजी जाति कुलमी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री राधेश्याम पिता प्रेमचंद कुलमी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. श्रीमती नंदुबाई पत्नी प्रेमचन्द कुलमी निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. श्रीमती विमला पालीवाल पत्नी कैलाशजी पालीवाल निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. श्री शांतिलाल पिता शिवलालजी ब्राहम्ण निवासी डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली जिला उदयपुर
7. तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला उदयपुर।
8. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. ग्राम पंचायत डबोक, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर।
10. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी

मुकदमा न0 : 245/08 (वाद) GCMS No. – 2008/00096

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. राजीनामा का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि ग्राम डबोक पटवार हल्का डबोक तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 539 पर दर्ज आराजी नम्बर 2866, 2867 किता 2 कुल रकबा 0.5666 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है, के बजाय वादीगण को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 04.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:57 IST
Reason: SelfAttested